


कार्यालय:-प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर, उ०प्र०।
पत्रांक :-क०एस०जी०एम०सी / बुलन्दशहर / 2023-24 / 1176 दिनांक 07.10.2023

:-महिला उत्पीड़न कमेटी:-

महानिदेश, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-एम०ई-1/2023/3556 दिनांक 29.09.2023 के क्रम में महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र०सं०	चिकित्साधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	डा० सुधा शर्मा	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	9837460515
2	डा० पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह	पैथोलॉजिस्ट	8791909806
3	श्रीमती मधु शर्मा	सिस्टर(महिला चिकित्सालय)	9761648197
4	श्रीमती अमर जीत कौर	सिस्टर(पुरुष चिकित्सालय)	8979198227
5	श्रीमती पूनम अग्रवाल	एन०जी०ओ० राष्ट्रीय चेतना मिशन	8218566374

अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अनुपालनार्थ वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे उच्चाधिकारियों को ससमय अवगत कराया जा सके।



प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर, उ०प्र०।

पत्रांक :-क०एस०जी०एम०सी / बुलन्दशहर / 2023-24 /

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी०बी०डी० जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
7. सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी की प्रति।


प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर, उ०प्र०।

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर, उ०प्र०।

सेवा में

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:— क०एस०जी०एम०सी०/बुलन्दशहर/2023-24/1184

दिनांक 07.10.2023

विषय:— महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम-2013 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशक के पत्र संख्या-एम०ई०-1/2023/3556 दिनांक 29.09.2023 के साथ संलग्न प्रारूप पर मांगी गई सूचना निम्नवत् प्रेषित है।

क्र०सं०	विवरण	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में अधिनियम 2023 की धारा-4 के अनुरूप नियमानुसार आन्तरिक परिवाद गठित है।	हाँ		
2	क्या उपरोक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समितियों में नाम निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों के ई-मेल आई०डी० एवं दूरभाष संख्या, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, संगत नियमों तथा आन्तरिक पालिसी इत्यादि का विवरण आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।	हाँ		
3	क्या शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बंधित सभी संविधिक निकायों यथा-व्यय लेखाकार, इंजीनियर्स, बैकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, कॉलेजों प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स के द्वारा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अनुरूप आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन करते हुये उसका विवरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।	हाँ		कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर से संबंधित नहीं है।
4	क्या आपके विभाग के अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवार समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जाँच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण को नियमानुसार संपादित किये जाने के विषय से अवगत कराया गया है।	हाँ		कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
5	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ गठित समस्त आन्तरिक परिवाद समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, संमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का अयोजन किया जा रहा है।	हाँ		

पत्रांक:— क०एस०जी०एम०सी०/बुलन्दशहर/2023-24/

प्रतिलिपि:— प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर, उ०प्र०।

तददिनांक
कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बुलन्दशहर, उ०प्र०।